हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
मदनसिंह व ईश्वरसिंह 353/02	
राजस्व लोक अदालत अभियान ... वर्ष-2018 ... जिला जयपुर ... 14.5.18 ... पत्रावली ... 14.5.18 ...	
14.5.18 पत्रावली पेश हुई। प्रथम पक्ष अपील ग्रामों रामीगढ़ व कुटला जिला जयपुर अनुमान पूर्व में क्रय की गयी भूमि ... डिक्री निष्पादन के समझौता पत्र सं.1642 में ... निष्पादन के बाद रजिस्ट्री ... हो गयी अब रामीगढ़ अनुमानतः ... खा.सं. 1/1 व 1/8 के रिकार्ड में ग्राम कुटला के 20.7 का 19/66 हिस्सा व डिक्री पक्ष शेरसिंह के वारिसान के ग्राम (1/1 व 1/6) व प्रतिवादी 2 सोमागसिंह के वारिसान 2/1 व 2/5 के ग्राम 47/66 हिस्सा ... 208 (0.45 है.) मजमून रहेगा।	सलाम सुमन कंवर मन्जू कंवर धर्मेन्द्र पहचान मेरी सुनिल [illegible]
इसी तरह ग्राम कुण्डल के ख.सं. 1861 (0.12 है.) मजमून ख.सं. 1860 में 136/181 हिस्सा प्रथम पक्ष श्री मदनसिंह के ग्रा.कु. 1/1 व 1/8 के रिकार्ड में रहेगा। इसी	नरेन्द्र सिंह नरेन्द्र सिंह पहचान मेरी

Scanned by CamScanner

मदन लाल बनाम ईश्वर सिंह वगै०

मु०नं० - 353/02

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	द्वितीय पक्ष श्री शंकर सिंह के वा० प्रतिवादी पृ.सं. 1/6 व श्री रामभाजी व प्रतिवादी सं. 2 के वा० मु० 2/1 से 2/5 के 45/181 हिस्सा रहेगा। इसी कुमार (सालीनामा) के आधार पर डिक्री पत्र जारी होकर परस्पर तहसीलदार है पत्रावली फैसल कुमार होकर नकल सेवा श्रीमान दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आगे नियम 14.5.16 को RLA NAOA-का केस SDK मूलक में मानते आदेशानुसार
जयपालसिंह	
रघुवीरसिंह	
12/4/17	
सहायक	
सहायक	
सरपंच	

(ब्रजलाल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर, सीकर

सरपंच
ग्राम पं. मुण्डरू
पं.स. श्रीमाधोपुर (सीकर)